राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1861/2024

(जोधपुर अपील संख्या :– 109/2023)

जितेन्द्र व्यास **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख सचिव, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर (राज.)।
2. राजस्थान राज्य जरिये निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर (राज.)।
3. उप निदेशक, जोधपुर, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर (राज.)।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 01.02.2023
आदेश की दिनांक : 01.07.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 30.11.2022 को अपास्त फरमाया जावे तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी को रिव्यू डीपीसी आयोजित कर कर निर्धारक के पद पर पदोन्नत करते हुये समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान किये जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति सहायक राजस्व निरीक्षक के पद पर दिनांक 08.08.2012 को नगर निगम जोधपुर में हुई थी और 2 वर्ष का परिवीक्षा काल पूर्ण होने पर उसे दिनांक

08.08.2014 को कंफर्म किया गया। नियम, 1963 के अंतर्गत न्यूनतम योग्यता एवं सहायक राजस्व निरीक्षक के पद पर 5 वर्ष का अनुभव के आधार पर राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति देने का नियम है, परंतु राज्य सरकार द्वारा नियम 13(2) के अंतर्गत शिथिलता दी गई। राज्य सरकार के आदेश दिनांक 10.07.2017 के द्वारा अपीलार्थी को राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति हेतु अनुभव में एक तिहाई की छूट प्रदान की गई, जिसमें आदेश दिनांक 05.12.2017 में अपीलार्थी की पदोन्नति की अनुशंषा की गई, जिसमें अपीलार्थी को वर्ष 2016–17 की रिक्ति के विरूद्ध राजस्व निरीक्षक के पद पर नोशनल आधार पर करते हुये कार्यभार ग्रहण करने की तिथी से वास्तविक लाभ दिये जाने का आदेश जारी किया गया। उनका कथन है कि राजस्व निरीक्षक की वरिष्ठता सूची में अपीलार्थी का नाम अंकित है और प्रत्यर्थी विभाग द्वारा कर निर्धारक के पद के लिये कोई भी भर्ती प्रक्रिया नहीं की गई और न ही राजस्व निरीक्षकों को उक्त पद पर पदोन्नत किया गया और इस प्रकार 43 कर निर्धारक के पद रिक्त थे, जो सीधे भर्ती एवं पदोन्नति से भरे जाने थे और प्रत्यर्थी विभाग द्वारा डीपीसी आयोजित होने के संबंध में प्रार्थना पत्र मांगे गये। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा दिनांक 25.04.2022 को अस्थाई वरिष्ठता सूची जारी की गई, जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 8 पर दर्शाया गया। अनुभव में एक तिहाई शिथिलता प्रदान किये जाने के संबंध में आदेश विभाग द्वारा जारी किये गये। अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, जिसमें अधिसूचना दिनांक 18.02.1998 का हवाला दिया और रिक्ति वर्ष 2022–23 के विरूद्ध कर निर्धारक के पद पर पदोन्नति के लिये उसके नाम पर विचार किये जाने हेतु निवेदन किया। परंतु अभ्यावेदन पर बिना विचार किये प्रत्यर्थी विभाग द्वारा वर्ष 2022–23 की वरिष्ठता सूची जारी किये बिना आदेश दिनांक 30.11.2022 जारी कर दिया, जिसमें अपीलार्थी के समान अन्य कार्मिकों को कर निर्धारक के पद पर पदोन्नति प्रदान की जो अपीलार्थी से भी वरिष्ठता में कनिष्ठ थे। परंतु अपीलार्थी को उक्त पद पर पदोन्नति प्रदान नहीं की गई। अपीलार्थी ने दिनांक 19.01.2023 को पुनः अभ्यावेदन प्रत्यर्थी विभाग को प्रेषित किया, परंतु उस पर भी कोई विचार नहीं किया गया। इस प्रकार प्रत्यर्थी विभाग द्वारा किया गया कृत्य मनमानापूर्ण है, जो विधि एवं नियमों के विपरीत है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 30.11.2022 को अपास्त फरमाया जावे तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश

दिए जावें कि अपीलार्थी को रिव्यू डीपीसी आयोजित कर कर निर्धारक के पद पर पदोन्नत करते हुये समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान किये जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति दिनांक 08.08.2012 को हुई थी और उसे रिक्ति वर्ष 2016–17 के विरूद्ध राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नत किया गया। उनका कथन है कि कर निर्धारक के पद पर योग्य अभ्यर्थियों को ही पदोन्नत किया गया है। अनुभव में एक तिहाई की शिथिलता प्रदान की गई, जो एक अप्रेल से गणना की गई है। विभाग के दिशा–निर्देशानुसार ही डीपीसी आयोजित की गई, जिसमें योग्य कार्मिकों को उनकी पदोन्नति पर अनुशंषा की गई। अधिकरण के आदेश दिनांक 26.05.2023 के द्वारा एक कर निर्धारक का पद रिक्ति वर्ष 2022–23 के विरूद्ध रखे जाने का आदेश दिया गया, परंतु विभाग द्वारा डीपीसी दिनांक 01.11.2022 को आयोजित की गई थी और रिव्यू डीपीसी दिनांक 26.07.2023 को आयोजित की गई, जिसमें शेष अभ्यर्थियों को पदोन्नति प्रदान की गई और अधिकरण के आदेश जारी होने के बाद कोई भी डीपीसी आयोजित नहीं की गई है। इस प्रकार उक्तानुसार अपील खारिज फरमाये जाने योग्य है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति सहायक राजस्व निरीक्षक के पद पर दिनांक 08.08.2012 को नगर निगम जोधपुर में हुई थी। आदेश दिनांक 05.12.2017 के द्वारा अपीलार्थी को वर्ष 2016–17 की रिक्ति के विरूद्ध राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नत किया गया। जहां तक अपीलार्थी को रिक्ति वर्ष 2022–23 के विरूद्ध कर निर्धारक के पद पर पदोन्नति प्रदान नहीं किये जाने का प्रश्न है, आदेश दिनांक 25.04.2022 के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्व निरीक्षक के पद की अस्थाई वरिष्ठता सूची दिनांक 01.04.2022 की स्थिति में जारी की गई, जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 8 पर वरिष्ठता दर्शायी गई है। आलोच्य आदेश दिनांक 30.11.2022 के अवलोकन से स्पष्ट है कि डीपीसी की बैठक दिनांक 01.11.2022 में की गई अनुशंषानुसार प्रत्यर्थी विभाग द्वारा 13 कार्मिकों को कर निर्धारक के पद पर

पदोन्नति प्रदान की गई है, परंतु अपीलार्थी को उक्त पद पर पदोन्नति से वंचित रखा गया। जबकि अस्थायी वरिष्ठता सूची में श्री कमल शर्मा जिनका नाम क्रम संख्या 17 पर अंकित है और अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 8 पर अंकित है, जिनकी नियुक्ति/पदोन्नति दिनांक 12.11.2016 दर्शायी गई है और अपीलार्थी की नियुक्ति/पदोन्नति दिनांक 01.04.2016 दर्शायी गई है। इस प्रकार अपीलार्थी श्री कमल शर्मा से वरिष्ठ होते हुये भी अपीलार्थी को कर निर्धारक के पद पर पदोन्नति से वंचित रखा गया है और अपीलार्थी से कनिष्ठ कार्मिक श्री कमल शर्मा को कर निर्धारक के पद पर रिक्ति वर्ष 2022–23 के विरूद्ध पदोन्नत किया गया है, जिसका नाम आलोच्य आदेश में क्रम संख्या 7 पर अंकित है। इस प्रकार और अन्य कार्मिकों को कर निर्धारक के पद पर पदोन्नत किया गया है, परंतु अपीलार्थी को उक्त पदोन्नति से वंचित रखा गया है, जो नियमानुसार उचित एवं न्यायपूर्ण प्रकट नहीं होता है। इस प्रकार उक्त तर्कों के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है एवं प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलार्थी की वरिष्ठता एवं अनुभव को ध्यान में रखते हुये रिक्ति वर्ष 2022–23 के विरूद्ध कर निर्धारक के पद पर यदि अपीलार्थी पदोन्नति योग्य पाया जाता है तो रिव्यू डीपीसी आयोजित कर उक्त पद पर उक्त रिक्ति वर्ष के विरूद्ध जिस तिथी से उससे कनिष्ठ कार्मिक को कर निर्धारक के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई है, उसी तिथी से अपीलार्थी को भी नियमानुसार पदोन्नति प्रदान की जावे एवं समस्त पारिणामिक लाभ आदि भी प्रदान किये जावें।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य